



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931

No. 802]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1286(अ).—“जिप्सम खानों, बैराइट्स खानों, बाक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, क्यानाइट खानों, तांबा खानों, क्ले खानों, मेग्नेसाइट खानों, क्वाइट क्ले खानों, पत्थर खानों, स्टीटाइट खानों (सोप स्टोन एवं टैल्क उत्पादित करने वाली खानों सहित), गेरू खानों, एम्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्ट्जाइट खानों, क्वाटाइज खानों, सिलिका खानों, ग्राफाइट खानों, फेल्सपर खानों, लेटेराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, बोलफ्राम खानों, लौह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फास्फेट खानों, हेमेटाइट खानों, संगमरमर खानों और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवल खानों, स्लेट खानों एवं मेग्नेटाइट खानों,” में लगे कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित करने के प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का.आ. 133(अ) में दिनांक 13 जनवरी, 2009 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयीं थी, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आर्मात्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 जनवरी, 2009 को साधारण जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी;

और उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरों को नियत करती है।

मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, निम्नलिखित शामिल होंगी—

(क) इसमें संलग्न अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (3) और (4) में उपवर्णित और स्तंभ (2) में उल्लिखित खानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों का संदेय मजदूरी की मूलभूत दरें; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ता (जिसे इसके पश्चात् परिवर्ती महँगाई भत्ता कहा गया है) को उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (3) और (4) में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमशः 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग-1

क्र. सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें प्रति दिवस (रुपयों में)	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	120.00	150.00
2.	अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	150.00	180.00
3.	कुशल	180.00	210.00
4.	अत्यधिक कुशल	210.00	240.00

भाग-2

क्र. सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	परिवर्ती महंगाई भत्ते की दर (आधार वर्ष 2001=100) के पश्चात् औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 133 अंक से अधिक प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी के लिए जो जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए है।	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	0.90 रुपये	1.13 रुपये
2.	अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	1.13 रुपये	1.35 रुपये
3.	कुशल और लिपिकीय	1.35 रुपये	1.58 रुपये
4.	अत्यधिक कुशल	1.58 रुपये	1.80 रुपये

भाग-3

कर्मकारों का वर्गीकरण

अकुशल कर्मकार

1. चौकीदार	2. क्लीनर	3. ड्रैसर/ड्रैसिंग मजदूर
4. श्रमिक	5. लोडर	6. मजदूर (महिला/पुरुष)
7. संदेश वाहक (महिला/पुरुष)	8. ट्रेमर	9. केयर टेकर (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों को छोड़कर, जहां यह अर्द्ध कुशल है)
10. कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों को छोड़कर)	11. सफाई वाला (महिला/पुरुष)	12. वाहक
13. नंबर टेकर	14. ट्राली ट्रिपर	15. वाटर कैरियर
16. होल कटर	17. अर्थ कटर	18. सर्वेक्षण खलासी
19. मशीनों पर कार्य न करने वाला खलासी	20. वाहक (पत्थर)	21. कार्टमैन

22. कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)	23. ड्राइवर (खच्चर) बैल, ऊँट, गधा)	24. लैम्पमैन
25. पेट्रोल मैन	26. वाटर मैन	27. बेलदार/बेलदार (कैन्टीन)
28. कुली	29. ब्रेकर (दस्ती औजार इस्तेमाल करने वाला)	30. खानसामा सहायक
31. ऑफिस बॉय	32. वॉचमैन/चौकीदार	33. खदान मजदूर
34. जैली मेकर	35. अति भार हटाने वाला	36. रद्दी हटाने वाला मजदूर
37. अनलोडर	38. एक्सकेवेटिंग लेबर	39. डिगर
40. कसाई	41. अटेंडर	42. कम्प्रेसर अटेंडेन्ट
43. लारी हैल्पर	44. भूतल लोडर	45. वुड कटर
46. भूतल मुकर	47. भूमिगत मुकर	48. सहायक और अन्य किसी भी नाम वाले किसी अन्य श्रेणी वाले अकुशल कर्मकार

अर्द्ध कुशल कर्मकार/अकुशल पर्यवेक्षी

1. भिश्ती	2. सहायक ड्रिलर	3. खनिक
4. बटलर/खानसामा	5. ब्रेकर (यंत्रिकृत औजार इस्तेमाल करने वाला)	6. क्रेच आया/आया/अप्रशिक्षित क्रेच सहायक
7. अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धातुमय खान विनियम, 1961 के अंतर्गत बिना सक्षमता प्रमाण-पत्र वाला	8. आयलमैन/ऑयलर	9. मुख्य चौकीदार
10. हैल्पर (मैसन, कारपेन्टर, ब्लैकस्मिथ)	11. टिन्डल्स	12. मुक्कदम (धातुमय बुलडोजर ड्राइवर खान विनियम, 1961 के अंतर्गत बिना सक्षमता प्रमाण-पत्र वाला)
13. पम्प अटेंडेन्ट (जिप्सम, बैराइट्स और रॉक फासफेट को छोड़कर)	14. खलासी (बुलडोजर)/पम्प खलासी/डम्पर खलासी, कम्प्रेसर खलासी	15. मशीनें देखने वाला खलासी
16. क्वैरी मैन	17. क्वैरी ऑपरेटर	18. स्टॉकर
19. स्टोर मैन	20. थैचर	21. थुम्बा मैन
22. ट्राली मैन	23. जमादार	24. बैरा (बीयरर)
25. सफेदी करने वाला	26. ब्रेक मैन	27. टोपाज
28. टोपकर	29. हैल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक)	30. ऐज रनर
31. पैक वालर्स	32. राक वालर्स	33. जैक हैमर
34. पिलर मैन	35. बैंक्स मैन	36. कैश गार्ड
37. चैकर	38. धोबी (पुरुष/महिला)	39. फायर मैन (माइका खानों को छोड़कर जहां यह कुशल हैं)

40. हैमर मैन	41. ग्राइंडर	42. ग्रीसर
43. माली/बागवान	44. प्वाइंट्स मैन	45. अन्टैन्डैन्ट
46. टेलिफोन अटैन्डैन्ट	47. बॉयलर मैन (बिना प्रमाण-पत्र वाला)	48. सहायक ब्लास्टर
49. क्रशर ऑपरेटर	50. लैम्प कक्ष इंचार्ज/अटैन्डैन्ट	51. सैम्पलर/सैम्पलर बॉय
52. स्टोन कटर और ड्रैसर	53. ड्रैसर ग्रेड-II	54. सुरक्षा गार्ड (निशस्त्र/मुख्य चौकीदार)
55. सिपाही	56. मीटर रीडर	57. तांबा, क्रोमाइट तथा ग्रेफाइट खानों के केयर टेकर
58. सहायक ड्रिल प्रचालक	59. कैन्टीन बॉय	60. बटलर-सह-रसोइया
61. वेंटीलेशन फैन परिचर	62. औजार तेज करने वाला	63. पिकर (पुरुष/महिला)
64. चार्ज रूम परिचर	65. सहायक मिस्त्री	66. सहायक फिटर
67. यांत्रिक सहायक	68. मेल डाक रनर	69. परिचर श्रेणी 'ग'
70. प्रयोगशाला परिचर	71. श्रमिक सिरधार	72. हलवाई
73. कैन्टीन परिचर	74. सिग्नल मैन	75. डाक बॉय
76. वार्ड बॉय	77. प्रयोगशाला बॉय	78. चपरासी, केवल बाक्साइट खानों में
79. वरिष्ठ सफाईवाला	80. सुरक्षा गार्ड	81. कतरन उठाने वाला (शीयरर)
82. वास्ट कटर	83. गन-मैन	84. विस्फोटक ले जाने वाला
85. गेज वर्कर	86. डिस्क कर्मकार	87. सॉर्टर
88. माइका कटर ग्रेड-II	89. चीजलमैन	90. फॉयर क्ले प्रेस अथवा शोषक एवं परिशोधन भूमि काटने के लिए अपेक्षित अधिभार के अलावा
91. श्रमिक दफादार	92. खान दफादार	93. मैनुअल चिल्ली ब्रेकर
94. मैनुअल ब्लास्ट/मैटल ब्रेकर और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल हो और उसे चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाता हो ।		

कुशल कर्मकार

1. एअरविन्ह हॉलेज आपरेटर	2. ऑटो इलैक्ट्रिशियन	3. पेन्टर
4. लुहार	5. टेलर	6. कम्प्रेसर आपरेटर

7. ब्लास्टर/शॉट फायरर	8. ड्राइवर	9. प्रधान रसोइया
10. चार्जमैन	11. बढई	12. कंकरीट मिक्सर प्रचालक
13. कम्प्रेसर परिचर	14. एयर कम्प्रेसर परिचर	15. ट्रैक्टर ड्राइवर
16. वाहन चालक	17. कैमिस्ट और सहायक कैमिस्ट	18. उप-ओवरसियर (गैर-योग्यता प्राप्त)
19. ड्रिलर	20. हैंडहोल ड्रिलर	21. ड्रिल मिस्त्री
22. ड्राइवर ऑटो	23. इलेक्ट्रिशियन	24. बेतार प्रचालक सहायक फोरमैन
25. फोरमैन	26. फिटर	27. मांझी
28. इस्थूअर लोको	29. सुपर फोरमैन	30. उत्तोलक प्रचालक
31. आई एम सी ई चालक	32. चालक (ड्राइवर)	33. लोको ड्राइवर
34. लोडर प्रचालक	35. लाइनमैन	36. मैकेनिक/मशीनिस्ट
37. राज	38. दाई	39. टिनकार
40. पर्यवेक्षी मिस्त्री	41. पम्प परिचर केवल जिप्सम, बैराइट्स एवं रॉक फॉस्फेट में	42. पम्प प्रचालक/चालक
43. खनन मेट धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित	44. मिस्त्री	45. कुशल मजदूर
46. टर्नर	47. वरिष्ठ मैकेनिक	48. पाइप फिटर
49. पर्यवेक्षक	50. ड्राफ्ट्स मैन	51. वायरमैन
52. टिम्बरमैन/टिम्बर मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन	53. पत्थर पीसने वाला प्रचालक	54. पेराई चालक
55. मोल्डर	56. वेल्डर	57. प्रचालक
58. वर्क मिस्त्री	59. इंजन चालक	60. खनन इंजन चालक ग्रेड-II
61. इंजन वाला	62. वाल्वमैन	63. कटर
64. वाइंडिंग इंजन चालक ग्रेड-II	65. वाच एण्ड वार्ड प्रभारी	66. शोवल प्रचालक
67. लिम्को लोडर प्रचालक	68. सर्फेस पर्यवेक्षक	69. डोजर प्रचालक
70. कम्प्रेसर ड्रिलर	71. डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक	72. बायलर मैन (प्रमाण-पत्र सहित)
73. मशीनरी परिचर	74. वातानुकूलन मिस्त्री	75. शिशुसदन (क्रेच) परिचर, केवल मैगनिसाइट, मैगनीज तथा अभ्रक खानों में
76. पॉवर शोवल प्रचालक	77. पॉवर तथा पम्प हाउस प्रचालक	78. खनिक ग्रेड-I
79. ट्रैक्टर प्रचालक	80. टब की मरम्मत वाला	81. लेथ मिस्त्री
82. स्थिर इंजन परिचर	83. जेनरेटर प्रचालक	84. लोडिंग फोरमैन

85. डीजल मिस्ट्री	86. फैरो-प्रिन्टर एवं चेयरमैन	87. कर्षण प्रचालक
88. औषधालय परिचर	89. वर्क सकार	90. अभ्रक काटने वाला ग्रेड-I
91. ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक	92. पर्यवेक्षी फायरमैन	93. फायरमैन केवल अभ्रक खानों में
94. कम्प्रेसर चालक	95. पम्प मैन चालक	96. पीसनहारा अभ्रक खानों में
97. सिरधार लेथमैन	98. मुक्कदम (धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित)	99. भूविज्ञानी
100. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र) और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं और चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।		

लिपिकीय कर्मकार

1. भंडार लिपिक	2. मिलान लिपिक	3. सामान जारी करने वाला
4. औजार रखने वाला	5. संगणक	6. अभिलेख-पाल
7. ट्रेसर	8. फाइल लिपिक	9. पंजिका-पाल (रजिस्टर कीपर)
10. समय-पाल (टाइम-कीपर)	11. लिपिक	12. मुंशी
13. भंडार परिचर	14. टेलर लिपिक	15. टंकक
16. शस्त्रागार लिपिक	17. टेलेक्स या टेलिफोन प्रचालक	18. हिन्दी अनुवादक
19. सहायक	20. पुस्तकालयाध्यक्ष	21. सहायक शस्त्रागार लिपिक
22. स्टोर-कीपर और कर्मकारों का अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।		

उच्च कुशल कर्मकार

1. कम्पाउन्डर	2. ओवरसीयर	3. सर्वेक्षक
4. वाइंडिंग इंजन चालक	5. प्रचालक (भारी अर्थ मूविंग) शोवल तथा बुल-डोजर	6. प्रधान मिस्ट्री
7. स्टाफ नर्स डिप्लोमा सहित	8. ड्रिल आपरेटर जैक हैमर के अलावा	9. बिजली पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित
10. भूमिगत पाली प्रभारी	11. प्रधान मैकेनिक	12. योग्यता प्राप्त और अनुभवी वेल्डर

13. मशीनी औजार मैकेनिक	14. यांत्रिकी/संयंत्र फोरमैन	15. खनन पर्यवेक्षक
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक/अध्यापक	17. प्रधान बिजली मिस्त्री	18. लेखाकार
19. आशुलिपिक 7 वर्ष की सेवा सहित	20. भंडार प्रभारी	21. पाली प्रभारी
22. पर्यवेक्षक और कर्मकारों का अन्य कोई प्रवर्ग जो उच्च कुशल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।		

स्पष्टीकरण :- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

1. मजदूरी की न्यूनतम दरों में मूल दरें, निर्वाह भत्ते अर्थात् विशेष भत्ते की लागत तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति का नकद मूल्य, यदि कोई हो, सहित सभी कुछ अंतर्विष्ट हैं।
2. मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक अवकाश दिवस की मजदूरी भी अंतर्विष्ट है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।
4. निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को संदेय दरों के समान ही होगी।
5. (क) “अकुशल कार्य” से कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को कौशल या अनुभव वाला अल्प या शून्य अपेक्षा साधारण कार्य प्रचालन अंतर्विष्ट है;

(ख) “अर्ध-कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके लिए कार्य के संबंध में अनुभव द्वारा अर्जित कुछ मात्रा में कौशल या सक्षमता अंतर्विष्ट है और जो एक कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अंतर्गत किये जाने के योग्य है और इसमें पर्यवेक्षी कार्य सम्मिलित है;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव द्वारा या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में एक शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्विष्ट है और जिसके निष्पादन के लिए पहल करने या निर्णय लेने की आवश्यकता है;

(घ) “खनिक” से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी खान में उत्खनन, बटोरने, छंटाई, ड्रेसिंग, संसाधन और भार ढोने और अन्य आनुषंगिक कार्यों के माध्यम से खुदाई/निष्कर्षण के कार्य में सीधे लगे हुए हैं; और

(ड) “अति कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके लिए कतिपय कार्यों के निष्पादन में उच्च श्रेणी में पूर्णता और पूर्ण सक्षमता आवश्यक है जो गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा दीर्घ अवधि के लिए व्यावहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित की हो और इसमें कर्मचारी को अपने कार्य के निष्पादन में शामिल उसके निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व भी आवश्यक है।

6. किसी खान में कार्यरत या नियोजित अथवा इसके संबंध में कार्यरत अथवा नियोजित व्यक्ति को “भूमिगत” कार्यों में या नियोजित कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित में कार्यरत अथवा नियोजित हो :-

- (i) ऐसी शाफ्ट जो पानी में डूबी हुई हो अथवा डूबने की अवस्था में हो; या
- (ii) उपरिवर्ती भूमि के नीचे किए जाने वाले उत्खनन में; या
- (iii) किसी ऐसी ओपन कास्ट में कार्य जिसमें इसके उच्चतम शिखर से इसके सबसे निचले बिन्दु तक की मापी गई गहराई छः मीटर से अधिक हो।

7. जहां किसी संविदा अथवा अन्यथा के आधार पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दरें अधिसूचित दरों से उच्च हैं, वहां उच्चतर दरें संरक्षित होंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में मानी जाएंगी।

8. जहां किसी क्षेत्र में पत्थर खानों के संबंध में इस अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें किसी खान या खदान अथवा किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने से संबंधित कार्यों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से उच्चतर हैं, वहां पत्थर खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारों को मजदूरी की उच्च दर संदेय होगी और उस मजदूरी को इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

9. पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान प्रकृति के कार्य या कार्यों के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त होगी।

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दरों में मजदूरी की न्यूनतम दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता, दोनों शामिल हैं।

[फा. सं. एस-32017/4/2008-डब्ल्यू. सी. (एम.डब्ल्यू.)]

हरचरण सिंह, उप महानिदेशक

256

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1286(E).— Whereas the proposals to revise the minimum rates of wages per day payable to the employees engaged in the Scheduled employment of "Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines", was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 133 (E), dated the 13th January, 2009 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months, from the date on which copies of Gazette notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 14th January, 2009;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby fixes the minimum rates of wages payable to the employees employed in this Scheduled employment.

1901 4008-3

The minimum rates of wages, which will be effective from date of this notification shall consist of –

(a) basic rates of wages as set out in columns (3) and (4) of Part-I of the Schedule annexed herewith and payable to the categories of employees working in mines mentioned in Column (2) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in Part-II of the said Schedule shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months commencing on the 1st October and 1st April on the basis of average Consumer Price Index Number for Industrial Workers for the each preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate mentioned in Columns (3) and (4) of Part-II of the said Schedule.

Schedule

Part – I

Serial Number	Categories of employees	Minimum Rates of Basic Wages Per Day (In Rupees)	
		Above Ground	Below Ground
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unskilled	120.00	150.00
2.	Semi Skilled /Unskilled Supervisory	150.00	180.00
3.	Skilled	180.00	210.00
4.	Highly Skilled	210.00	240.00

Part – II

Serial Number	Categories of employees	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 133, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period July-December, 2007	
		Above Ground	Below Ground
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Unskilled	Rs.0.90	Rs.1.13
2.	Semi-skilled/Unskilled-Supervisory	Rs.1.13	Rs.1.35

3.	Skilled and Clerical	Rs.1.35	Rs.1.58
4.	Highly Skilled	Rs.1.58	Rs.1.80

Part – III

Classification of Workers

Unskilled Workers

1. Chowkidar	2. Cleaner	3. Dresser / Dressing Mazdoor
4. Labourer	5. Loader	6. Mazdoor (Male/Female)
7. Messenger (Male / Female)	8. Trammer	9. Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semi-skilled)
10. Office Peon / Peon (except in Bauxite Mines)	11. Sweeper (Male / Female)	12. Carrier
13. Number Taker	14. Trolly Triper	15. Water Carrier
16. Hole cutter	17. Earth Cutter	18. Survey Khalasi
19. Khalasi not Attending to machines	20. Carrier (Stone)	21. Cartman
22. Concrete (Hand Mixer)	23. Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)	24. Lampman
25. Petrol man	26. Waterman	27. Beldar/Beldar (Canteen)
28. Coolie	29. Breaker (using Manual appliances)	30. Cook-helper
31. Office Boy	32. Watchman/ Chowkidar	33. Quarry Worker
34. Jelly Maker	35. Over burden Remover	36. Waste removing mazdoor
37. Unloader	38. Excavating Labour	39. Digger
40. Butcher	41. Attender	42. Compressor Attendant
43. Lorry Helper	44. Surface loader	45. Wood Cutter
46. Surface Mukar	47. Under Ground Mukar	48. Helper and any other categories of workers by whatever name called, which are unskilled.

Semi-Skilled Workers / Unskilled Supervisory

1. Bhisti	2. Assistant Driller	3. Miner
4. Butler/Cook	5. Breaker (using mechanical appliances)	6. Crech Ayah/Ayah/ Untrained Crech Attendant
7. Untrained Mate/ Mining Mate / Mate without Competency certificate Under Metalli-aferous Mines Regulations, 1961	8. Oilman/Oiler	9. Head Chowkidar
10. Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)	11. Tindals	12. Muccadām (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
13. Pump Attendant (except in Gypsum, Barytes and Rock Phosphate)	14. Khalasi (bulldozer) Pump Khalasi / Dumper Khalasi Compressor Khalasi	15. Khalasi attending to Machines
16. Quarry Man	17. Quarry Operator	18. Stocker
19. Storeman	20. Thatcher	21. Thoomba Man
22. Trolley Man	23. Jamadar	24. Bearer
25. White Washer	26. Breaks Man	27. Topaz
28. Topker	29. Helper (Loco, Crane, Truck)	30. Edge Runner
31. Pack Wallers	32. Rock Wallers	33. Jack Hammer
34. Pillarman	35. Banks Man	36. Cash Guard
37. Checker	38. Dhobi (Male/Female)	39. Fireman (except in Mica Mines where it is skilled)
40. Hammer Man	41. Grinder	42. Greaser
43. Mali/Gardener	44. Points Man	45. Attendant
46. Telephone Attendant	47. Boiler Man/without certificate	48. Assistant Blaster

49. Crusher Operator	50. Lamp room Incharge / Attendant	51. Sampler/Sampler Boy
52. Stone Cutter and Dresser	53. Dresser Grade-II	54. Security Guard (Unarmed) / Head Chowkidar
55. Sepoy	56. Meter Reader	57. Caretaker in Copper, Chromite and Graphite Mines.
58. Assistant Drill Operator	59. Canteen Boy	60. Butler-cum-Cook
61. Ventilation Fan Attendant	62. Tool Sharpner	63. Picker (Male/Female)
64. Charge-room Attendant	65. Assistant Mechanic	66. Assistant Fitter
67. Mechanical Helper	68. Mail Dak Runner	69. Attendant 'C' Category
70. Laboratory Attendant	71. Labour Sirdhar	72. Halwai
73. Canteen Attendant	74. Signal Man	75. Dak Boy
76. Ward Boy	77. Laboratory Boy	78. Peon, only in Bauxite Mines
79. Senior Sweeper	80. Security Guard	81. Shearer
82. Wast Cutter	83. Gun-Man	84. Explosive Carriers
85. Guage Workers	86. Disc Workers	87. Sorter
88. Mica Cutter Grade-II	89. Chisleman	90. Fire Clay Press or drying and refining except overburden requiring earth cutting
91. Labour Dafadar	92. Mines Dafadar	93. Manual Chelly Breaker
94. Manual Blast/ Metal Breaker and any other categories of workers by whatever name called, which are Semi-skilled.		

Skilled Workers

1. Airwinch Haulage Operator	2. Auto-electrician	3. Painter
4. Blacksmith	5. Tailor	6. Compressor Operator
7. Blaster/Shot-firer	8. Driver	9. Head cook
10. Chargeman	11. Carpenter	12. Concrete Mixer Operator
13. Compressor Attendant	14. Air Compressor Attendant	15. Tractor Driver
16. Vehicle Driver	17. Chemist and Assistant / Chemist	18. Sub- overseer (unqualified)
19. Driller	20. Handhole Driller	21. Drill Mechanic
22. Driver Auto	23. Electrician	24. Wirelsss Operator Asstt. Foreman
25. Foreman	26. Fitter	27. Ferry Driver
28. Issuer Loco	29. Super Foreman	30. Hoist Operator
31. IMCE Driver	32. Driver	33. Loco Driver
34. Loader Operator	35. Linesman	36. Mechanic / Machinist
37. Mason	38. Mid Wife	39. Tinsmith
40. Supervisory Mechanic	41. Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates	42. Pump Operator/Driver
43. Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961.	44. Mistry	45. Skilled Mazdoor
46. Turner	47. Senior Mechanic	48. Pipe Fitter
49. Supervisor	50. Drafts Man	51. Wireman
52. Timber Man / Timber Mistry Elect.	53. Stone Crusher Operator	54. Crusher Operator

55. Moulder	56. Welder	57. Operator
58. Work Mistry	59. Engine Driver	60. Mining Engine Driver Grade -II
61. Engineman	62. Valveman	63. Cutter
64. Winding Engine Driver Grade - II	65. Incharge of Watch and Ward	66. Shovel Operator
67. Limco Loader Operator	68. Surface Supervisor	69. Dozer Operator
70. Compressor Driller	71. Dumper Tractor Operator	72. Boiler Man (with Certificate)
73. Machinery Attendant	74. Air-conditions Mechanic	75. Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
76. Power Shovel Operator	77. Power and Pump House Operator	78. Miner Grade - I
79. Tractor Operator	80. Tub Repairer	81. Lathe Mistry
82. Stationery Engine Attendant	83. Generator Operator	84. Loading Foreman
85. Diesel Mechanic	86. Ferro Printer cum-chairman	87. Haulage Operator
88. Dispensary Attendant	89. Work Sakar	90. Mica Cutter Grade -I
91. Dresser Grade -I Mica	92. Supervisory Fireman	93. Fireman only in Mines
94. Compressor Driver	95. Pump Man Driver	96. Grinder in Mica Mines
97. Sirdhar Lathe Man	98. Muccatam (with Competency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).	99. Geologist
100. Security Guard (Armed) and any other categories of workers by whatever name they are called, which are Skilled.		

Clerical Workers

1. Store clerk	2. Tally Clerk	3. Store Issuer
4. Tool Keeper	5. Computer	6. Record Keeper
7. Tracer	8. File Clerk	9. Register Keeper
10. Time Keeper	11. Clerk	12. Munshi
13. Store Attendant	14. Teller Clerk	15. Typist
16. Magazine Clerk	17. Telex or Telephone Operator	18. Hindi Translator
19. Assistant	20. Librarian	21. Assistant Magazine Clerk
22. Store Keeper and any other categories of workers by whatever name they are called, which are Clerical.		

Highly Skilled Workers

1. Compounder	2. Overseer	3. Surveyor
4. Winding Engine Driver	5. Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)	6. Head Mistry
7. Staff Nurse with Diploma	8. Drill Operator other than Jack Hammer	9. Electrical Supervisor with Competency Certificate
10. Underground Shift Boss	11. Head Mechanic	12. Qualified and Experienced Welder
13. Machine Tool Mechanic	14. Mechanical/Plant Foreman	15. Mining Supervisor
16. Vocational Training Instructor/Teacher	17. Head Electrician	18. Accountant
19. Steno with 7 year of service	20. Store Incharge	21. Shift Incharge
22. Supervisor and any other categories of workers by whatever name they are called, which are highly skilled		

Explanation. - For the purposes of this notification, -

1. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the basic rates, the cost of living allowance say special allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities.
2. The minimum rates of wages also include the wages for weekly day of rest.
3. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.
4. The minimum rates of wages for disabled persons shall be the same as payable to the workers of the appropriate category.
5. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment;

(d) "Miner" means a worker who is directly involved or engaged in excavation or extraction by way of digging, picking, sorting, creasing, processing and loading and other incidental works thereto in a mine; and

(e) "Highly Skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain task acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for his judgment or decision involves in the execution of these tasks.

6. A person working or employed in or in connection with a mine is said to be working or employed "below ground" if he is working or employed:-
- (i) in a shaft which has been or in the course of being sunk; or
 - (ii) in any excavation which extends below superjacent ground; or
 - (iii) in an open cast working in which the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point exceeds six metres.
7. Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified, the higher rates shall be protected and treated as the minimum rates of wages for purpose of this notification.
8. Where in any area the minimum rates of wages fixed as per this notification in relation to stone mines are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for the employees employed in the employment of stone-breaking or stone crushing operations carried on in any mine or quarry or under some other arrangement, the higher rate of wages shall be payable to the workers employed in the employment in the stone mines and that wage shall be considered to be the minimum rates of wages fixed under this notification.
9. Men and Women employees shall get the same rates of wages for the same work or works of a similar nature.
10. The minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

[F. No. S-32017/4/2008-WC (MW)]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General